भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *361
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षय रोगियों की रोगग्रस्तता और मृत्यु दर

***361. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्षय रोग (टीबी) से देश में हर वर्ष अनुमानत: 4,80,000 अर्थात् हर दिन 1,400 से अधिक लोगों की मौत होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में हर वर्ष क्षय रोग के दस लाख से अधिक ऐसे मामले भी होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता और जो अधिसूचित ही नहीं होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश क्षय रोगियों का या तो निदान नहीं हो पाता है या निजी क्षेत्र में होने वाले इनके निदान और उपचार का पता ही नहीं चल पाता है और वह अपर्याप्त भी होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन की दिशा में काम करते हुए क्षय रोगग्रस्तता और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लाने का सरकार का लक्ष्य रुक सा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार रोग से निपटने के लिए विशेषत: क्षय रोग की दवा और इसकी अवधि संबंधी प्रोटोकॉल पर फिर से काम करने पर विचार कर रही है ताकि कोई रोगग्रस्त न हो और रोग से किसी की मृत्यु न हो तथा रोग के कारण कोई गरीबी की स्थिति में न आए तथा इससे “क्षय रोग मुक्त” पहल को फिर से शुरू किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

20 दिसंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.361 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में कार्यान्वित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रकाशित वैश्विक टीबी रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत में टीबी की व्याप्तता दर 2015 में 237/लाख जनसंख्या थी जो 2023 में 17.7% कम होकर 195/लाख जनसंख्या रह गई है और टीबी से होने वाली मौतें 2015 में 28/लाख जनसंख्या थी जो 2023 में 21.4% कम होकर 22/लाख जनसंख्या रह गई हैं।

एनटीईपी के ठोस प्रयासों से अज्ञात मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2015 में 15 लाख से घटकर 2023 में 2.5 लाख रह गए हैं।

निजी क्षेत्र के साथ केंद्रित और लक्षित तौर पर सम्मिलित रहने से, निजी क्षेत्र से टीबी मामलों की अधिसूचना 2015 में 1 लाख थी जो 2023 में बढ़कर 9.32 लाख हो गई है। टीबी मामलों की कुल वार्षिक अधिसूचना 2015 में 16.08 लाख थी जो 2023 में बढ़कर 25.5 लाख हो गई है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान 28 लाख मामलों का है।

टीबी की व्याप्तता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित उपाय।
- टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां और निदान की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- प्रमुख संवेदनशील और सह-रुग्ण आबादी में अभियान के माध्यम से सक्रिय टीबी मामलों का पता लगाना।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टीबी जांच और उपचार सेवाओं के साथ एकीकृत करना।
- टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशालाओं का उप-जिला स्तर तक विस्तार।
- दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए सभी मुख सेव्य, लघु, सुरक्षित और अधिक प्रभावकारी उपचार की शुरूआत।
- पोषण सहायता के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर प्रति मरीज प्रति माह 1000 रुपये कर दी गई है।
- निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और घरेलू संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता का प्रावधान।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और कमजोर आबादी को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- निक्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- इस रोग के कारण पैदा होने वाली हीनभावना को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी उपाय।
- टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों में एकजुटता लाना।

&#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42;